विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 17 / 2026

सस्थित दिनांक 25.05.2026

Smt. Priya Singh Thakur, ...परिवादी

W/o Shri Pradeep Thakur,

Add. - Krishnapuri Road No F Devpuri,

Distt. - Raipur (C.G.)

Mob.No. - 74893-93143

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 18 / 06 / 2026 को पारित)

परिवादी को प्रदत्त अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित किये जाने के पश्चात अस्थायी मीटर की आंकलित खपत के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित अत्यधिक राशि के देयक में सुधार किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. कृष्णपुरी, देवपुरी रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 1.0 कि.वा. भार का अस्थायी कनेक्शन बी.पी.कमांक 1008859665 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया था ।

ख. दिनांक 13.05.2026 को परिवादी के अस्थायी कनेक्शन का मीटर परिसर से निकाला गया एवं अस्थायी कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी द्वारा प्रदायित अस्थायी कनेक्शन के मीटर को परिसर से निकाले जाते समय निकाले गए मीटर के संबंध में परिवादी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी एवं बाद में औसत यूनिट के आंकलन के आधार पर अत्यधिक राशि का देयक उत्तरवादी द्वारा प्रेषित कर दिया गया । परिवादी द्वारा, पुराने मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

पर देयक में सुधार किए जाने एवं देयक राशि का भुगतान किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान किए जाने का आग्रह किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 332 दिनांक 02.06.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा की गयी शिकायत के पश्चात प्रकरण की जांच करने पर परिवादी के परिसर से अस्थायी मीटर निकाले जाने के समय मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही देयक जारी किया जाना पाया गया जो सही है अतः देयक में किसी प्रकार का सुधार किए जाने की आवश्यकता नहीं है । उत्तरवादी द्वारा पत्र के साथ मीटर मे दर्ज वास्तविक खपत को दर्शाने वाली मीटर बदली स्लिप भी संलग्न की गयी है । प्रेषित विद्युत देयक का मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होने एवं तद्नुसार सही होने की जानकारी उत्तरवादी द्वारा परिवादी को पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को देयक आंकलित खपत के आधार पर प्रेषित किया गया है ।

(ii) क्या परिवादी, उत्तरवादी से संशोधित देयक एवं उसका भुगतान किश्तों में किए जाने की सुविधा प्राप्त किए जाने की अधिकारी है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा उसके परिसर स्थित अस्थायी मीटर में दर्ज खपत के अनुसार बिलिंग न करते हुए आंकलित खपत के अनुसार देयक प्रेषित किया गया है । परिवादी के इस तर्क का खंडन करते हुए उत्तरवादी द्वारा अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि परिवादी को प्रेषित देयक उसके अस्थायी कनेक्शन के मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार प्रेषित किया गया है न कि आंकलित औसत खपत के अनुसार । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित मीटर बदली स्लिप में भी मीटर का अंतिम वाचन 11239 दर्ज है एवं तद्नुसार ही उत्तरवादी द्वारा परिवादी को माह अप्रेल 2026 का देयक प्रेषित किया जाना दर्शित होता है । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित मीटर बदली स्लिप में दर्ज मीटर के अंतिम वाचन 11239 के अनुसार उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी को प्रेषित देयक आंकलन पर आधारित न होकर मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी द्वारा मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार देयक में संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया है जबकि उत्तवादी द्वारा प्रस्तुत मीटर बदली स्लिप के अनुसार मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही देयक का प्रेषित किया जाना प्रमाणित होता है । इस तथ्य के आधार पर उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी को प्रेषित देयक सही है एवं इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है । सप्लाई कोड की कंडिका 10.14 के अनुसार उत्तरवादी अपने विवेक से परिवादी को, उसकी बकाया राशि के, किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है ।

8. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी का देयक संशोधित किये जाने योग्य नहीं है ।

9. परिवादी द्वारा उत्तवादी को प्रेषित पत्र दिनांक 04.06.2026 में किए गए लेख अनुसार उत्तरवादी द्वारा मीटर की रीडिंग एवं देयक की गणना के संबंध में दी गयी विस्तापूर्वक जानकारी से उसकी देयक संबंधी शंकाओं का समाधान हो गया है ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रही है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद खारिज कर निम्नांकित आदेश प्रदान किया जाता है –

परिवादी का देयक सही एवं भुगतान योग्य है । उत्तरवादी अपने विवेकानुसार परिवादी को, उसकी बकाया राशि को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है । परिवादी अपनी बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें ।

11. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

आदेश पारित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष